

## भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

सर्वाधिकार सूचना संख्या.....


दिनांक.....

इस परिपत्र द्वारा आम जनता से सूचित किया जाता है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की प्रिज्विलिजिड हाई बोर्डेज हाईवे की नुसखत एवं रक - रकब का सर्वेक्षण उपलब्ध अतिथि, एट हाईवे एवं ट्रांसमिशन हाईवे उप-जलदा, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, जलानपुर, सुपियान के अधीन है :-

क्रमांक	हाईवे का नाम	सम्बंधित हाईवे/ बरवी व गावी से नुसखे का नाम
01	220 के.पी. ब्यास - जलानपुर एवम सर्वेज हाईवे	भाखड़ा हाईवे ब्रीक, मोन हाई, बराला, मंगल, रवाडीगुर, रीत, फोलेवास, बंगल, बटोली, कसरोटा, संतोकाब, रीत, कैलीवास, फोलेवास, मडी, मडकी, बजावा, नारायण, बराला, बड़की, बड़क-कुई, बजावा, कुई, जाला (जलानपुर विंग), रीत, रजब, मजिया, टीका, सोबित बरवी, रवीला मगर, आनुसुचित बरवी, मारदा बरवी बरब मगर, बचिब मगर, अंजल पणकोट, जज पणकोट, बाबा रीत मगर, जलानपुर.
02	220 के.पी. जलानपुर - संकर एवम सर्वेज हाईवे	जलानपुर, अंजल बरवी, हाडिग ब्रीक बरवी, चोकन पुज्जुन, इण्डस्ट्रियल एरिया, बंटी बरब, बंगलाबा, जलान बरब, संतोका, रीत, कैली, रीत, मुसल, रीत, जली, कुसुमा, मरबरी, संवास, संवाली, एटी बरब, बाबा ब्रीक, संवास, संबर.

भारतीय विद्युत अधिनियम-1910 (नियम -18 ) उपनियम-3 व नियम संख्या-82 भारतीय विद्युत नियम-1956 के तहत उपरोक्त हाईवे के नीचे व निकट जलदा का निर्माण, सुसंधरण अदि वर्जित है। कठित एट म रकब के कारण न केवल हाई बोर्डेज हाईवे की नुसखत एवं रक - रकब बल्कि विद्युत प्रवाह में भी अनेक बाधा उत्पन्न हो सकती है और साथ ही सार्वजनिक / उचित विवेक व सुरक्षा के लिये भी बाधा उत्पन्न हो सकती है।

अगर कोई भी उचित उपरोक्त की अवरोध करता है यदि जलदा का निर्माण, सुसंधरण अदि वर्जित हो व करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम-1910 (नियम -18 ) उपनियम-3 व नियम संख्या-82 भारतीय विद्युत नियम-1956 के तहत कार्रवाई की जायेगी और उचित विवेक एवं पूर्ण रूप में भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड व बिस्वी अन्य को ज़ुबाने वाने नुसखत के लिये जिम्मेदार होगा।

  
 श्री १८ सर्वेक्षणी अधिकारी,  
 परिपालना एवं आनुसंधान मंत्रालय,  
 सीकर/सी. जलानपुर, सुपियान